न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 15/2021

1– छोटुलाल पुत्र आसुराम जाति माली निवासी बोरावड़ तहसील मकराना जिला नागौर राज0 ।

.....अपीलान्ट

बनाम

.....रेस्पोडेन्ट

1– केशरीमल पुत्र छोटुलाल उर्फ छोटुराम
2–छोटीदेवी पत्नी छोटुलाल उर्फ छोटूराम
3–रेखा देवी पुत्र छाटुलाल उर्फ छोटुराम समस्त जाति माली निवासी बोरावड़ तह मकराना जिला नागौर राज.
4–तहसीलदार (भूधारक) मकराना तह. मकराना जिला नागौर राज0

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अमरा राम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं नामान्तकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 तहसीलदार मकराना के विरूद्ध

निर्णय

दिनांक:.12.04.21

{1} –यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार मकराना के नामान्तरकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 ग्राम बोरावड़, तहसीलदार मकराना के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ग्राम बोरावड़ का स्थायी निवासी है। अपीलान्ट की पैतृक कब्जा कास्त व खातेदारी का एक खेत ख0नं0 1/2 रकबा 19बीघा 13 बिस्वा (3.1808 हैक्टर) वाके शरहद बोरावड़ की राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सीमा में स्थित है। जिसमें अपीलार्थी का 1/3 वा हिस्सा है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न अपील पेश है।

यह है कि अपीलार्न्थी की कब्जा कास्त व खातेदारी का पुश्तैनी खेत ख0 नं0 1/2 रकबा 19बीघा 13 बिस्वा की नकल लेकर प्रधानमंत्री समान निधि के लिए आवेदन करने के लिए ई मित्र के पास गया तो मालूम चला कि अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नही मिला व पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज मिला फिर अपीलान्ट ने भागदोड़ कर राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की व म्यूटेशन संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 के नकल प्राप्त की तो पाया गया है। कि अपीलार्थी को फौत बताकर उसके स्थान पर किसी अन्य छोटुराम पुत्र आसुराम के वारीसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया जब कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया जब कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 अपीलान्ट के वारीसान नहीं है।

यह है कि रेपोडेन्ट संख्या 4 तहसीलदार मकराना ने छोटुराम पुत्र आसुराम माली का फौतगी म्यूटेशन (नामान्तरण) संख्या 3432 भरते वक्त गल्तीवंश लापरवाही से बीना किसी जॉच पड़ताल के मुत्यु प्रमाण पत्र में छोटलाल व छोटुराम में कोई फर्क किये बिना ही ख0 नं0 437 रकबा 8.4608 है के स्थान पर ख0नं0 1/2 रकबा 3.1808 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया जो बिल्कुल ही गलत व बीना किसी जॉच पड़ताल के किया गया है। जो काबीले निरस्त है।

यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने जो नामान्तकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम से भरा गया है। वह छोछुराम पुत्र आसुराम माली जो ख0नं0 437 में भरा जाना था की जगह ख0 नं0 1/2 में भरा गया है। जबकि ख0 नं0नं0 1/2 का खातेदार छोटुलाल पुत्र आसुराम अभी भी जीवीत हैं एक जीवित व्यक्ति का फौतगी म्यूटेशन भरा जाना भारी अपराधिक मामला भी बनता हैं किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की भारी लापरवाही से अपीलार्थी को भारी आधात लगाा हैं। जिसका गलत नामान्तकरण निरस्त किया जाना बहुत ही जरूरी है। जिसके लिए अपीलार्थी न्यायालय हाजा में निम्न आधारों पर पेश कि है:-

उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 5.02.2021 को पेश की है, जो दिनांक दिनांक 8.2.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। दिनांक 12.03.2021 को नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गयी।

{3} – वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि :–

{3}(1) – यह है कि अपीलार्थी अभी भी जीवित है। अपीलार्थी का नाम छोटुलाल पुत्र आसुराम है जबकि म्युटेशन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया है वह छोटुराम पुत्र आसुराम का है।

{3}(2) – यह है कि नामान्तकरण संख्या 2432 में मृतक के जो वारिस है वह अपीलार्थी के नहीं होकर खेत ख0नं0 437 के खातेदार के वारीसान हैं

{3}(3) –यह है कि ख0नं0 437 का खातेदार छोटुराम पुत्र आसुराम की मृत्यू हो चुकी हैं किन्तु उसका नामान्तकरण नहीं हुआ है। अभी भी उस मृतक का नाम उसका चला आ रहा है।

{3}(4) –यह है कि जो नामान्तकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 को भरा गया है वह ख0नं0 437 का था जो ख0नं0 1/2 में भर दिया गया है।

{3}(5) – यह है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर हल्का पटवारी से जानकारी ली तो उन्होने बताया कि यह नामान्तकरण छोटुराम व छोटुलाल का व ख0नं0 का ध्यान नहीं करने से गलत भरा गया है।

{3}(6) – यह है कि नामान्तकरण संख्या 2432 भरने के लिए नहीं तो अपीलार्थी ने कोई मृत्यू प्रमाण पत्र दिया नहीं वारिस प्रमाण पत्र दिये नहीं अपीलार्थी व उसके परिवार को किसी प्रकार की सुनवाई हेतु नोटिस दिया ।

{3}(7) – यह है कि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण रिकोर्ड नामान्तकरण संख्या 2432 ख0नं0 1/3 की नकल ख0नं0 की नकल ख0नं0 437 की नकले दिनांक 29.01.21 को प्राप्त की तो जानकारी हुई व दिनांक 27.01.21 को अपीलान्ट को पहली बार जानकारी हुई हैं जानकारी होते ही यह अपील मयाद में पेश की जा रही है।

अपीलान्ट अधिवक्ता बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मकराना द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति को दर्ज करवाने का निवेदन किया ।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपनी अपील में निवेदन किया कि उसको पूर्व कोई जानकारी नहीं हुई। नामान्तकरण संख्या 2432 व ख0नं0 1/2 की नकल एवं ख0नं0 437 की नकलें दिनांक 29.01.2021 को लेने से जानकारी हुई है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। अतः अपीलान्ट के निवेदन व नामान्तकरण को गलत भरा जाने से अपील में मियाद के बिन्दु को नहीं देख कर नामान्तकरण के विषय को देखा जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील को नकल लेने की अवधि से एक माह की अवधि में अपील दर्ज किया जाना अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं ।

{5}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया ।

{5} – ग्राम बोरावड़ का नामान्तकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम से भरा गया है। वह छोटुराम पुत्र आसुराम माली जो ख0नं0 437 में भरा जाना था कि जगह ख0नं0 1/2 में भरा गया है। जबकि ख0नं0 1/2 का खातेदार छोटुलाल पुत्र आसुराम अभी भी जीवित है। एक जीवित व्यक्ति का फौतगी म्यूटेशन भरा जाना कानूनी रूप से गलत है। उक्त विवादित नामान्तकरण को निरस्त किया जाना बहुत ही जरूरी हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलार्थी अभी भी जीवित है तथा अपीलार्थी का नाम छोटुलाल पुत्र आसुराम है जबकि म्यूटेशन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाया गया था, वह छोटुराम पुत्र आसुराम का है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच पड़ताल के मृत्यु प्रमाण पत्र में छोटुलाल व छोटुराम में कोई फर्क किये बिना ही ख0नं0 437 रकबा 8.4608 के स्थान पर ख0 नं0 1/2 रकबा 3.1808 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया जो बिल्कुल ही गलत व बिना किसी जॉच पड़ताल के किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित है।

:::: आदेश ::::

उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना द्वारा पारित ग्राम बोरावड़ के नामान्तकरण संख्या 2432 दिनांक 31.12.2010 को निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक खातेदार के संबंध में पूर्ण जांच कर एवं सम्बन्धित पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)